

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल
क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/627/862 भोपाल दिनांक 22/04/2025
प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय भोपाल /इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/सागर/
रीवा (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग भोपाल/भोपाल संभाग क्रमांक-02/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/
ग्वालियर/सागर/ रीवा/नर्मदापुरम/सिवनी/मुरैना/खरगोन/मंदसौर।

विषय:- गृह भाडा भत्ता के भुगतान किये जाने के बारे में।
संदर्भ:- म.प्र.शासन वित्त विभाग भोपाल का परिपत्र क्र. एफ 4-1/2025/नियम/
चार दिनांक 03 अप्रैल 2025

उल्लेखित विषयान्तर्गत म.प्र.शासन वित्त विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार दिनांक 03 अप्रैल 2025 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को गृह भाडा भत्ते की दरों को दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से पुनरीक्षण किया गया है। (ज्ञाप की छायाप्रति संलग्न है)

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अन्तर्गत आंचलिक कार्यालय/कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को संदर्भित ज्ञाप में उल्लेखित शर्तों के अधीन गृह भाडा भत्ता भुगतान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(प्रवीण कुमार वर्मा)

उप संचालक (कार्मिक)

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

भोपाल दिनांक 22/04/2025

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/627/863

प्रतिलिपि:-

उपसंचालक (वित्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

उप संचालक (कार्मिक)

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2025/नियम / चार

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय- राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्र. एफ 11-12/2010/नियम/चार दिनांक 01 सितम्बर 2012

राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देय है। राज्य शासन द्वारा वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत देय मूल वेतन के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के निर्धारण का निम्नानुसार निर्णय लिया है -

क्र.	शहर / कस्बे की श्रेणी	गृह भाड़ा भत्ता की पुनरीक्षित दर (प्रतिशत)
1	2	3
1	7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 10%
2	3 लाख से अधिक पर 7 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 7%
3.	3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 5%

2/ यह आदेश यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

स्वा

4.4.25

3/ निम्नांकित सेवा संवर्ग को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी :-

(क) जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवासगृहों में निवासरत हों अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो ।

(ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ।

(ग) संविदा, तदर्थ, स्थायीकर्मों तथा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त ।

4/ गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी ।

5/ उपरोक्तानुसार गृह भाड़ा भत्ता संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावशील होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

पृ. क्रमांक : एफ 4-1/2025 / नियम / चार
प्रतिलिपि -

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, वित्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
8. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल

- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
- महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
- सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
- सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
- राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
- आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
- आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
- संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
- समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
- संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
- समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
- संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
- अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
- समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- गार्ड फाईल ।



(अभिषेक चौहान)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग